

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2025	<p>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरिये प्रार्थी अधिवक्ता भानूप्रकाश शर्मा एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम देवरी तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 422 में आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 27.06.2025 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा</p>	
27/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई, वकीली द्वारा काय स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेशी लगा दी गई पत्रावली दिनांक 18/8/25 को पेश हो</p> <p>18/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील जार्ज अनु0 पत्रावली में पैरवी हेतु बार-बार खुले न्यायालय में आवाप लगाई गई, और भी हापिर नही आया। पत्रावली अदम पैरवी अदम हापिली में ख्यातिज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा</p>	